(39)

R.3086-II/14

विश्राम सिंह तिवारी पिता स्व0 यादवेन्द्र सिंह तिवारी उम्र 85 वर्ष पेशा खेती रिटायर्ड शिक्षक निवासी ग्राम पाल तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

................निगराकार

बनाम

1. अभिरम सिंह पिता स्व0 यादवेन्द्र सिंह उम्र 70 वर्ष पेशा रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवासी निवासी ग्राम पाल हाल मुकाम सतना म0प्र0

2. अरुण प्रताप सिंह तिवारी पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह तिवारी उम्र 56 वर्ष पेशा नौकरी निवासी निवासी ग्राम पाल हाल मुकाम कष्ण नगर कालोनी वार्ड नं0 2 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.............गैर निगराकार

श्री...ए.ए.के. द्विवेदी... एड द्वारा आज दिनांक..13-8-14.. के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्व तहसीलदार अमरपाटन वृत्त मौहारी कटरा के रा0प्र0क्र0 121अ27/13–14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.07.2014 ई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3086–दो/2014 जिला सतना

विश्राम सिंह तिवारी विरूद्ध अभिरमसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–4–2015	आवेदक एवं केवीयेटकर्ता अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अमरपाटन वृत्त मोहारी कटरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 121/अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण में संलग्न आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आवेदक का आदेश 6 नियत 17 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन अस्वीकार किया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में लेख किया है कि 'प्रकरण अनावेदक की ओर से जबाव प्रस्ततीकरण उपरांत साक्ष्य हेतु नियत है। एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात जबाव दावे में संशोधन की मांग की जा रही है जिसके संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं दर्शाय है। उक्त के अलावा जो संशोधन बिन्दु बताये जा रहे हैं उनसे जबाव दावे का मूल स्वरूप ही बदल जावेगा।' तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं उसमें किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	